



माइसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

प्रस्तावना : माइसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम माइसेबुङ गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०८१ रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि माइसेबुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. **भूमि कर (मालपोत) :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत अनुसूची (१) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. **घर बहाल कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (२) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
४. **व्यवसाय कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
५. **विज्ञापन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (४) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
६. **बहाल बिरौटी शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, स्थानीय सरकारको नाममा रहेका ऐलानी जग्गा त्यस्तो जग्गामा रहेका पोखरी, हाटबजार, प्रदर्शनी स्थल र ती स्थानमा अस्थायी अनुमती लिएर राखिएका पसलमा अनुसूची (५) अनुसार बहाल बिरौटी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
७. **सडक उपयोग सेवा शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गुड्ने सवारी साधनबाट सडक उपयोग गरे बापत अनुसूची (६) बमोजिम सडक उपयोग सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
८. **सेवा शुल्क, दस्तुर :** गाउँपालिकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ७ बमोजिमका क्षेत्र र विषयमा पुर्याएको सेवा वापत अनुसूची (७) मा उल्लिखित दरमा सेवा शुल्क दस्तुर लगाउने र असूल उपर गरिनेछ ।
९. **प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क :** (१) माइसेबुङ गाउँपालिका भित्र आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, दहतर बहतरको संकलन तथा बिक्रीमा अनुसूची ८ बमोजिमको शुल्क लगाइने र संकलन गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर संकलन गर्नु अघि प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा २ मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि यसभन्दा पहिले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको रहेछ भने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, दहतर बहतर संकलन गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(४) उपदफा ३ बमोजिम प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्कको संकलित रकम गाउँपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(५) उपदफा ४ बमोजिम संकलित तथा प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड हुने भई गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।


विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१०. कृषिजन्य, पशुजन्य तथा वन पैदावर निकासी कर अनुसूची ९ बमोजिम निकासी कर संकलन गरिनेछ ।
११. घरधुरी कर : अनुसूची १० बमोजिम घरधुरी कर संकलन गरिनेछ ।
१२. एम्बुलेन्सबाट आम्दानी : अनुसूची ११ बमोजिम एम्बुलेन्सबाट आम्दानी संकलन गरिनेछ ।
१३. बेरुजू दाखिला : अनुसूची १२ बमोजिम बेरुजू संकलन गरिनेछ ।
१४. विविध : अनुसूची १३ बमोजिम विविध कर संकलन गरिनेछ ।
१५. दर घटाउन बढाउन वा कर छुट : (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
- (२) ठेक्का प्रक्रियाबाट आन्तरिक आय संकलन गर्दा गराउँदा त्यस्तो ठेक्काको सम्पूर्ण रकम सम्झौताको बखत एकमुष्ट बुझाएमा १० प्रतिशत (दश प्रतिशत) छुट दिइनेछ । तर किस्ताबन्दीमा छुट सुविधा दिइने छैन ।
१६. यस ऐनमा उल्लेख नभएका कुनै पनि विषयका दररेटहरु तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सोही विषयसंग मिल्दोजुल्दो अर्को विषयको दररेट आधारमानी दररेट कायम गरिनेछ ।
१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची १ मालपोत दस्तुर:

| निम्नानुसारका क्षेत्रहरुमा एक रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफल रहेका कित्ताहरुको मालपोत मुल्यांकन दस्तुर निम्नानुसार कायम गर्न प्रस्ताव गर्ने: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| वडा नं. | क्षेत्रहरु | न्यूनतम मुल्यांकन |
| १ | देउमाई खोला र फाकफोक खोला दोभान क्षेत्र | रु. ५० (पचास) |
| १ | गजुरमुखीधाम क्षेत्र | रु. ८० (असी) |
| २ | रक्से बजार क्षेत्र | रु. ५० (पचास) |
| ३ | चतुरे लाकतप्पा र नवमी क्षेत्र | रु. ६० (साठी) |
| ५ | भालुटार बुधबारे बजार क्षेत्र | रु. ६५ (पैंसठ्ठी) |
| ६ | चिसोपानी पञ्चमी बजार क्षेत्र | रु. १०० (एक सय) |
| ७ | मार्चबुङ क्षेत्र | रु. ५० (पचास) |

मूल्यांकन रकम

| सि. नं. | मूल्यांकन रकम | ०८१।८२ को दर |
|---------|-----------------------------------|---------------------|
| १ | २५ हजार देखि १ लाखसम्म मूल्यांकन | रु १० (दश) |
| २ | १ लाख १ देखि ३ लाखसम्म मूल्यांकन | रु २० (बिस) |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म मूल्यांकन | रु ५० (पचास) |
| ४ | ५ लाख १ देखि ७ लाखसम्म मूल्यांकन | रु १०० (एक सय) |
| ५ | ७ लाख १ देखि १० लाखसम्म मूल्यांकन | रु १५० (एक सय पचास) |
| ६ | स्वेच्छिक मूल्यांकन माग गरेमा | रु ३०० (तीन सय) |

Call
विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि. नं. | मूल्यांकन रकम | ०८१।८२ को दर |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७ | जरिवाना | १ वर्षसम्म १० प्रतिशत, २ वर्षसम्म २० प्रतिशत, ३ वर्षसम्म ३० प्रतिशत र ३ वर्षभन्दा बढी जति भए पनि ४० प्रतिशत |

अनुसूची २ घरबहाल कर

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरू | ०८१।८२ को प्रस्तावित दर |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| १ | घर बहाल कर बहाल रकमको | १० प्रतिशत |

अनुसूची ३ व्यवसाय कर

| सि.नं | राजस्वको क्षेत्रहरू | ०८१।८२ को दर |
|-------|--------------------------------|--------------|
| १ | निर्माण सामग्री हार्डवेयर | १००० |
| २ | विद्युतीय सामग्री | ८०० |
| ३ | किराना (खादय सामग्री) | ५०० |
| ४ | कपडा पसल | ५०० |
| ५ | ज्वेलरी (सुन चाँदी) पसल | १००० |
| ६ | उत्पादनमूलक उद्योग | २५०० |
| ७ | उर्जामूलक उद्योग | २००० |
| ८ | वनजन्य उद्योग | १५०० |
| ९ | कृषिजन्य उद्योग | १००० |
| १० | खनिज उद्योग | ३००० |
| ११ | होटल | १००० |
| १२ | चियानास्ता पसल | ८०० |
| १३ | निर्माण उद्योग | ५००० |
| १४ | नर्सिङ्ग होम तथा गै.स. अस्पताल | २५०० |
| १५ | क्लिनिक तथा ल्याब | १५०० |
| १६ | मर्मत संभार सवारी साधन | २००० |
| १७ | मर्मत संभार घडी रेडियो | १००० |
| १८ | ब्यूटि पार्लर/सैलून | १००० |
| १९ | डेस्कटप तथा फोटो स्टुडियो | १००० |
| २० | मासु पसल | १००० |
| २१ | टेलरिङ्ग | १००० |
| २२ | भाँडाकुँडा बिक्रेता | १००० |
| २३ | फर्निचर बिक्रेता | १५०० |
| २४ | एग्रोभेट सेन्टर | १००० |
| २५ | स्टेशनरी तथा पत्रपत्रिका | १००० |
| २६ | जूता चप्पल खरीद बिक्री | १००० |
| २७ | राइस मिल | १००० |
| २८ | सहकारी संस्था दर्ता | १००० |

विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| २९ | ईटा उद्योग | २५०० |
| ३० | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र | १००० |
| ३१ | गाडीबाट व्यवसाय गर्ने प्रति गाडी प्रतिदिन | २०० |
| ३२ | दूध डेरी दर्ता | १००० |
| ३३ | घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता | १००० |
| ३४ | सप्लायर्स दर्ता शुल्क | १५०० |
| ३५ | स-मिल दर्ता | ५००० |
| ३६ | अस्पताल | ५००० |
| ३७ | पोलिक्लिनिक | २५०० |
| ३८ | फार्मसी सम्बन्धी पसल | १५०० |
| ३९ | ल्याब प्रयोगशाला सहित | १५०० |
| ४० | ल्याब फार्मसी | २५०० |
| ४१ | डेन्टल क्लिनिक | १००० |
| ४२ | चस्मा पसल | १००० |
| ४३ | जिम हाउस दर्ता सिफारिस | २००० |
| ४४ | होटेल गेष्ट हाउस | २००० |
| ४५ | रेष्टुरेन्ट | १५०० |
| ४६ | पार्टी प्यालेस दर्ता | ३००० |
| ४७ | क्याटरिङ/टेन्ट हाउस | ३००० |
| ४८ | पूल हाउस दर्ता | २५०० |
| ४९ | छापाखाना दर्ता | २५०० |
| ५० | आर्ट पसल | १००० |
| ५१ | मोबाइल पसल/मर्मत पसल | १००० |
| ५२ | कम्प्युटर तालिम तथा मर्मत केन्द्र | १००० |
| ५३ | फोटोग्राफर तथा ग्राफिक्स भिडियो | १००० |
| ५४ | कस्मेटिक्स पसल तथा ब्यूटीपार्लर | १००० |
| ५५ | स्टेशनरी तथा खेलकूद सामग्री पसल दर्ता | १००० |
| ५६ | कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका व्यवसाय (विद्यालय बाहेक) | १००० देखि ५००० |
| ५७ | कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका व्यवसाय (विद्यालय बाहेक) नवीकरण | ५०० देखि २५०० |
| ५८ | शोक बिक्रेता दर्ता | २००० |
| ५९ | शोक बिक्रेता नवीकरण | १००० |
| ६० | अन्य व्यवसाय दर्ता | १००० |
| ६१ | अन्य व्यवसाय नवीकरण | ५०० |
| ६२ | पूर्व प्राथमिक विद्यालय निजी | १००० |
| ६३ | आधारभूत विद्यालय निजी | १५०० |
| ६४ | माध्यमिक विद्यालय | २००० |
| ६५ | माध्यमिक विद्यालय नवीकरण | १००० |
| ६६ | क्याम्पस | ३००० |
| ६७ | क्याम्पस नवीकरण | १५०० |
| ६८ | क वर्गको वाणिज्य बैंक राजस्व | ५००० |
| ६९ | ख वर्गको विकास बैंक राजस्व | ४००० |
| ७० | फाइनान्स कम्पनी दर्ता | ३५०० |
| ७१ | लघुवित्त विकास बैंक दर्ता | ३००० |
| ७२ | लघुवित्त विकास बैंक नवीकरण | १५०० |
| ७३ | मौजुदा सूचीमा सूचीकरण शुल्क | ५०० |


 विनोद कुमार चौहान
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मेशिन सूचीकृत दस्तुर

| सि. नं. | मेशिनको क्षमता | ०८१।०८२ को दर |
|---------|---------------------------------|---------------|
| १ | १ एच. पि. देखि ९८ एच. पि. सम्म | ७००० |
| २ | १ एच. पि. देखि १२० एच. पि. सम्म | ९००० |
| ३ | १ एच. पि. देखि १४० एच. पि. सम्म | ११००० |
| ४ | १ एच. पि. देखि २२० एच. पि. सम्म | १३००० |
| ५ | २२० एच.पि. भन्दा माथि | १५००० |

दृष्टव्यः व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा माथि उल्लेख भए बाहेक प्रकृतीका व्यवसाय दर्ता हुन आएमा मिल्दो प्रकृती र स्तरको दरमा व्यवसाय कर असुल गरिनेछ ।

अनुसूची ४ विज्ञापन कर

| सि. नं. | राजस्वको क्षेत्रहरू | ०८१।८२ को दर |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १ | माडसेबुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखिने होडिड बोर्डमा प्रति वर्ग फुट | २५।० |

अनुसूची ५ बहाल बिटोरी शुल्क

बहाल बिटोरी करः

| क्र सं | विवरण | ०८१।८२ को दर |
|--------|--------------------------|--------------|
| १ | कपडा पसल | १०० |
| २ | किराणा पसल | ५० |
| ३ | कस्मेटिक पसल | ४० |
| ४ | सब्जी पसल | १० |
| ५ | इलेक्ट्रिक पसल | ५० |
| ६ | चटपटे पसल | २० |
| ७ | चिया नास्ता पसल | ५० |
| ८ | खेलौना पसल | ४० |
| ९ | वधशाला | ५० |
| १० | डोको मान्द्रो नाम्लो पसल | ३० |
| ११ | फलामका सामान पसल | ३० |
| १२ | सूर्तीजन्य सामाग्री पसल | २५ |
| १३ | जूता चप्पल पसल | १०० |
| १४ | पूजा सामाग्री पसल | ३० |
| १५ | माटाका सामान पसल | ५० |


विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र सं | विवरण | ०८१।८२ को दर |
|--------|-----------------------------------|--------------|
| १६ | भाँडाकुडा पसल | ६० |
| १७ | फलफूल पसल | ६० |
| १८ | बंगुर पाठा पाठी प्रति गोटा | ५० |
| १९ | बास्रा पाठा पाठी प्रति गोटा | २५ |
| २० | खसी बोका प्रति गोटा | ७० |
| २१ | कूखुरा हाँस परेवा प्रति गोटा ठूलो | २० |
| २२ | कूखुरा हाँस परेवा प्रति गोटा सानो | ५ |
| २३ | दूग्ध जन्य पसल | २५ |
| २४ | अन्य | ३० |

साप्ताहिक हाट बजारमा बहाल बिटौरी शुल्क

| सि.नं. | हाटबजारको नाम | ठेगाना | न्यूनतम अंक | कैफियत |
|--------|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| १ | चिसोपानी पञ्चमी बजार | वडा नं. ६ | रु. २०००० | साप्ताहिक |
| २ | बुधबारे बजार | वडा नं. ५ | रु. २०००० | साप्ताहिक |
| ३ | बताहा बजार | वडा नं. २ | रु. १०००० | पाक्षिक |
| ४ | चतुरे बजार | वडा नं. ३ | रु. १०००० | साप्ताहिक |

| साप्ताहिक हाटबजार बाहेकका स्थानमा बहाल बिटौरी कर | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| क्र सं | विवरण | इकाइ | दर रु | कैफियत |
| १ | सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गरेका टहराहरु | प्रति वर्ग फूट | २० | मासिक |
| २ | सार्वजनिक स्थलमा व्यक्तिले निर्माण गरेका घर | प्रति वर्ग फूट | १० | १ तलाको बाषिक |
| ३ | सार्वजनिक स्थलमा व्यक्तिले निर्माण गरेका घर | प्रति वर्ग फूट | १५ | २ तलाको बाषिक |

गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानका सरकारी, ऐलानी, वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका परिवारहरुबाट मालपोतको दररेटमा वार्षिक बहाल बिटौरी कर संकलन गरिनेछ ।

साप्ताहिक हाट बजारबाट बहाल बिटौरी कर असुलीका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम ठेक्का अंक ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम अंक गाउँ कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची ६ सडक उपयोग सेवा (पूर्वाधार उपयोग शुल्क)शुल्क

पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क

| क्र सं | विवरण | ०८१।८२ को दर | ०८१।८२ को वार्षिक अग्रिम |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| १ | निजी तथा भाडाका कार जिप भ्यान पिकअप | ५० | |
| २ | निजी तथा भाडाका बस ट्रक | १०० | |
| ३ | निजी तथा भाडाका ट्र्याक्टर मिनि ट्रक | ८० | |
| ४ | हेभि गाडिहरु डोजर क्रेन एक्सभेटर लोडर आदि | १५० | |

Carver
विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र सं | विवरण | ०८१।८२ को दर | ०८१।८२ को वार्षिक अग्रिम |
|--------|------------------------|--------------|--------------------------|
| ५ | विदेशी न प्लेटका गाडी | २०० | |
| ६ | रिजर्भ | ५० | |
| ७ | रूट ईजाजत दस्तुर बाबिक | ५००० | |

अनुसूची ७ सेवा शुल्क दस्तुर (प्रति सिफारिस प्रति पटक)

| सि. नं. | राजस्वका क्षेत्रहरू | ०८१।८२ को दर |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| १ | अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस | ३०० |
| २ | आदिवासी जनजाती प्रमाणित (दलित प्रमाणित निःशुल्क) | २०० |
| ३ | अन्य सिफारिस | २०० |
| ४ | अंग्रेजी भाषामा सिफारिस | १००० |
| ५ | अविवाहित प्रमाणित | ५०० |
| ६ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | ७५० |
| ७ | ठूला उद्योग दर्ता | १०००० |
| ८ | मझौला उद्योग दर्ता | ५००० |
| ९ | साना तथा लघु उद्योग दर्ता | २५०० |
| १० | एकासंगोल परिवार सिफारिस | २०० |
| ११ | कर चुक्ता प्रमाणित (कुल कारोबार अंकको) | ०.१ प्रतिशत |
| १२ | मञ्जूरीनामा कागजात प्रमाणित | ५०० |
| १३ | कार्यालय कागजात उत्तार र प्रतिलिपि (प्रति पाना) | २० |
| १४ | कोठा खोल्ने रोहबर | ३०० |
| १५ | गाउँपालिका कानून संग्रह बिक्री | १५०० |
| १६ | गाउँपालिका पार्श्व चित्र | १००० |
| १७ | घर कायम सिफारिस (अन्य) | ३०० |
| १८ | घर कायम सिफारिस (व्यापारिक) | १५०० |
| १९ | घर पाताल प्रमाणित | २०० |
| २० | घरबाटो प्रमाणित | ७५० |
| २१ | घरसारी सिफारिस | ७५० |
| २२ | चारकिल्ला प्रमाणित | ५०० |
| २३ | चालचलन सिफारिस | ५०० |
| २४ | चौपाया सिफारिस | ५०० |
| २५ | छात्रवृत्ति सिफारिस | २०० |
| २६ | जग्गा अंशबण्ड सिफारिस | ५०० |
| २७ | जग्गा धनी पूर्जा हराएको वा प्रतिलिपि सिफारिस (प्रतिगोटा) | ५०० |
| २८ | जग्गा नामसारी सिफारिस | ५०० |
| २९ | जग्गाको हक सिफारिस | ५०० |
| ३० | जिवित रहेको सिफारिस | २०० |
| ३१ | धारा जडान सिफारिस | ३०० |
| ३२ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | पहिलो चोटि ५००, दोस्रो पल्ट ७५० र तेस्रो पल्ट १००० |
| ३३ | नागरिकता सिफारिस (अंगीकृत) | ७५० |
| ३४ | नागरिकता सिफारिस (बंशज) | २०० |
| ३५ | नाता प्रमाणित नेपाली | २०० |
| ३६ | नाबालक सिफारिस (अन्य) * | १००० |
| ३७ | नाबालक सिफारिस (अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, जापान, मकाउ, हङकङ, सिंगापुर, इजरायल कोरिया, युरोप) | २५०० |

Handwritten signature
विनोद कुमार चौहान
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ३८ | पारिवारिक लगत कार्ड दस्तुर | २५ |
| ३९ | पारिवारिक लगत कार्ड नविकरण | १५ |
| ४० | पेन्सन पट्टा सिफारिस (अन्य मूलक) | २५०० |
| ४१ | पेन्सन पट्टा सिफारिस (नेपाल) | ५०० |
| ४२ | पेन्सन पट्टा सिफारिस (भारत) | १५०० |
| ४३ | फरक नामथर जन्म मिति प्रमाणित | ३०० |
| ४४ | बसाई सराई सिफारिस (आन्तरिक, गाउँपालिकाभिन्न) | ३०० |
| ४५ | बसाई सराई सिफारिस (बाह्य) | ८०० |
| ४६ | बसोबास सिफारिस | २०० |
| ४७ | वैदेशिक भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी विवरण प्रमाणित वा सिफारिस (बेलायत र सिंगापुर) | ४००० |
| ४८ | वैदेशिक भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी विवरण प्रमाणित वा सिफारिस (भारत) | २५०० |
| ४९ | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित (अन्य मूलक) | ७५० |
| ५० | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित (अमेरिका क्यानाडा अष्ट्रेलिया जापान युरोप) | ४००० |
| ५१ | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित (मकाउ हङकङ सिंगापुर इजरायल कोरिया) | ३००० |
| ५२ | भवन नक्शा नामसारी दस्तुर | ७५० |
| ५३ | भवन नामसारी प्रति घर | ७५० |
| ५४ | भवन निर्माण अनुमती दस्तुर | ३०० |
| ५५ | भवन निर्माण नक्शा पास | ७५० |
| ५६ | भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र (व्यवसायिक) | ७५० |
| ५७ | भवन निर्माण स्वीकृत (आवासीय प्रयोजन) प्रति वर्ग फुट | ५ |
| ५८ | भवन निर्माण स्वीकृत (व्यवसायिक प्रयोजन) प्रति वर्ग फुट | १५ |
| ५९ | मोबाइल टावर (Ncell टुलो) | १५००० |
| ६० | मोबाइल टावर (Ncell सानो) | १०००० |
| ६१ | नेपाल टेलिकम टावर (सानो) | ६००० |
| ६२ | नेपाल टेलिकम टावर (टुलो) | १२००० |
| ६३ | मोही लगत कट्टा सिफारिस | ७५० |
| ६४ | रुख कटान सिफारिस (उत्तीस मलाली लगायत नरम काठ) प्रति रुख | ७५ |
| ६५ | रुख कटान सिफारिस (खयर) प्रति रुख | ३०० |
| ६६ | रुख कटान सिफारिस (खोटे सल्ला) प्रति रुख | २०० |
| ६७ | कडा काठको रुख कटान सिफारिस प्रति रुख | १००० |
| ६८ | पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमती (निजी) | २५०० |
| ६९ | प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमती (निजी) | ५००० |
| ७० | विद्यालय कक्षा तहगत वृद्धि अनुमती (निजी) | ३००० |
| | विद्यालय दर्ता (कक्षा १-५) | ३००० |
| | विद्यालय दर्ता (कक्षा ६-८) | ५००० |
| | विद्यालय दर्ता (कक्षा ९-१०) | ७००० |
| ७१ | विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस (निजी) | ३००० |
| ७२ | विद्यालय नामसारी सिफारिस | ३००० |
| ७३ | विद्युत जडान सिफारिस | २०० |
| ७४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि (जरिवाना र सेवा शुल्क सहित) | २०० |
| ७५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि | ३०० |
| ७६ | जन्म मृत्यु विवाह बसाई सराई प्रमाणित २०३७ साल पहिलेको | २०० |
| ७७ | व्यक्तिगत घटना दर्ता मिति संशोधन | २०० |
| ७८ | व्यवसाय करमा दर्ता सिफारिस | ५०० |
| ७९ | व्यवसाय दर्ता शुल्क | १००० |
| ८० | व्यवसाय नभएको वा संचालन नभएको सिफारिस | २०० |
| ८१ | व्यवसाय नवीकरण शुल्क | ५०० |
| | आ. व. को आश्विन मसान्तसम्म | ५०० |
| | आ. व. को कार्तिकदेखि असार मसान्तसम्म | ७५० |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| | आ. व. समाप्त भएपछि प्रत्येक आ.व. को थप | १००० |
| ८२ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | ५०० |
| ८३ | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | २०० |
| ८४ | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | ३०० |
| ८५ | संस्था दर्ता सिफारिस | १००० |
| ८६ | संस्था नवीकरण | ५०० |
| ८७ | सम्पति वा आय मूल्यांकन दस्तुर | ०.२ प्रतिशत |
| ८८ | सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस (व्यापारिक प्रयोजन) | १५०० |
| ८९ | स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का दस्तुर | ७५० |
| ९० | हकदार भएको वा नभएको सिफारिस | ३०० |
| ९१ | हातहतियार नवीकरण सिफारिस | ३००० |
| ९२ | दर्तावाला लेखापरीक्षक सूचिकृतको निवेदन दर्ता | १५०० |
| ९३ | गाउँपालिका दररेट | ५०० |
| ९४ | कक्षा ५ र ८ को शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर | ५०० |
| ९५ | गैसस दर्ता | १००० |
| ९६ | गैसस नवीकरण | |
| | आ.व. को आश्विन मसान्तसम्म | ३०० |
| | आ.व. को कार्तिकदेखि असार मसान्तसम्म | ५०० |
| | आ.व. समाप्त भएपछि प्रत्येक आ.व. को थप | १००० |
| ९७ | समूह दर्ता इजाजत पत्र दस्तुर | १००० |
| ९८ | समूह नवीकरण | |
| | आ. व. को आश्विन मसान्तसम्म | ५०० |
| | आ. व. को कार्तिकदेखि असार मसान्तसम्म | ७५० |
| | आ. व. समाप्त भएपछि प्रत्येक आ.व. को थप | १००० |
| ९९ | खाता बन्द सिफारिस | २०० |
| १०० | व्यवसायिक संघ/संस्था सूचिकृत दस्तुर | १५०० |
| १०१ | पदपूर्तीको लागि परीक्षा दस्तुर तथा फारम शुल्क | |
| | अधिकृत स्तर | १००० |
| | रा.प.अन. प्रथम वा सो सरह | ५०० |
| | रा.प.अन. द्वितीय वा सो सरह | ४०० |
| | श्रेणी विहीन | ३०० |
| १०२ | इजाजत पत्रको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क | |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत दस्तुर | १५००० |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत नवीकरण दस्तुर | ७५०० |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत नवीकरण दस्तुर थप | ४००० |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | १५०० |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय छाँउसारी | ३००० |
| | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय नाम परिवर्तन | २५०० |

भवन निर्माण सम्बन्धी दस्तुर

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| २०८०/८१ का लागि घरको नक्शा पास गर्न र अभिलेखीकरण गर्नका लागि तपशील अनुसारको शुल्क निर्धारण गर्ने | प्रति वर्ग फुट अभिलेखीकरणका लागि |
| बाँसको बाराबेरा गरी माटोको लिउन गरेको/नगरेको र प्लाष्टिक/खर /कर्कटपाताको छाना भएको | ०.२५ |
| ईटा/ढुंगामा माटोको जोडाई गरी बाँस/काठ/सिमेन्टले बाराबेरा गरी प्लाष्टिक/खर /कर्कटपाताको छाना भएको | १.५० |
| कर्कटपाताको छाना भएको काठको छद्म | २.०० |
| ईटा, ढुंगासंग सिमेन्ट जोडाई भई कर्कटपाताको छाना भएको | ३.०० |
| आर.सि.सि., सिमेन्ट प्लाष्टर गरी कर्कटपाताको छाानो वा ढलान गरिएको | ३.५० |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| आर. सि. सि. घर | ४.०० |
| कम्पाउण्ड वाल | ३.०० |
| घर नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि | ५०० |
| पुनःचः | |
| गाउँपालिकाको स्वीकृति नलिई घर तथा संरचना निर्माण गर्नेलाई मापदण्ड भित्र रहेछ भने व्यापारिक क्षेत्रको भए प्रति वर्ग फुट रु. ४ र अन्य क्षेत्र भए रु. ३ थप जरिवाना लिई प्रकृया अगाडि बढाउने । | |
| तोकिएको अवधिभित्र अभिलेखीकरण गर्न नआएमा माथि उल्लेखित अभिलेखीकरणको दरमा रु. २ थप जरिवाना लिने । | |
| नक्सापास गर्ने प्रयोजनका लागि बुँदा नं. १ को आवेदन दस्तुर रु.२५ र अन्यको हकमा रु. १०० लाग्ने । | |
| अभिलेखीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन दस्तुर रु. ५० लाग्नेछ । | |

अनुसूची ८ प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क |
| प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्कको दर कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेछ । |

अनुसूची ९ निकासी करको प्रस्तावित दररेटः

| सि. नं. | विवरण | इकाई | ०८१।८२ को दर |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| नगदे बाली | | | |
| १ | अलैंची | प्रति बोरा | ३०० |
| २ | जडीबूटी | प्रति मन | १०० |
| ३ | चिया तथा कफी सुकेको | प्रति मन | २०० |
| ४ | चिया तथा कफी हरियो | प्रति मन | १०० |
| ५ | अम्लिसो कुचो | प्रति मन | ५० |
| ६ | अदुवा | प्रति मन | ३० |
| ७ | कोदो मकै | प्रति मन | २० |
| ८ | दालचिनि | प्रति मन | २०० |
| ९ | अन्य | प्रति मन | ५० |
| वन पैदावार | | | |
| १ | दाउरा | प्रति टुक | १००० |
| २ | दाउरा | प्रति ट्रयाक्टर | ५०० |
| ३ | कडा काठ गोलिया सखुवा | प्रति टुक | ५००० |
| ४ | कडा काठ गोलिया सखुवा | प्रति ट्रयाक्टर | २५०० |
| ५ | गोलिया अन्य | प्रति टुक | १८०० |
| ६ | गोलिया अन्य | प्रति ट्रयाक्टर | ९०० |
| ७ | डोको मान्द्रो डालो | प्रति गोटा | ५ |
| ८ | चित्रा भकारी | प्रति गोटा | १० |
| ९ | बाँस | प्रति गोटा | ५ |
| १० | काठको दराज | प्रति गोटा | १०० |
| ११ | काठको अन्य सामान | प्रति गोटा | ५० |
| तेलहन दलहन | | | |
| १ | तोरी आलस | प्रति मन | २५ |
| २ | घ्यू तेल | प्रति केजी | ५ |
| ३ | दाल भटमास | प्रति मन | १०० |
| ४ | छुर्पी | प्रति केजी | ७ |

| सि. नं. | विवरण | इकाई | ०८१।८२ को दर |
|---------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | तरकारी सागसब्जी | | |
| १ | आलु फर्सी काँक्रा स्कुस मूला | प्रति मन | २० |
| २ | रायो साग स्कुस मून्टा निगुरो | प्रति मन | ५ |
| ३ | सिमि बोडी बेसार | प्रति मन | १० |
| ४ | अन्य तरकारी | प्रति मन | १० |
| ५ | खोर्सानी अकबरे | प्रति मन | १०० |
| ६ | तरुलजन्य वस्तु | प्रति मन | ५० |
| ७ | टमाटर | प्रति मन | २० |
| | फलफूल | | |
| १ | जुनार सुन्तला कागती | प्रति मन | २५ |
| २ | नास्पाती आल्या मेल | प्रति मन | १५ |
| ३ | केरा | प्रति घरी | १० |
| ४ | किवी एभोकार्डो | प्रति मन | १०० |
| | पशुपंक्षी | | |
| १ | गाई गोरु | प्रति गोटा | १०० |
| २ | भैंसी राँगा घोडा | प्रति गोटा | १५० |
| ३ | सुंगुर बंगुर बारवा खसी बोका | प्रति गोटा | ३० |
| ४ | बाच्छा बाच्छी पाडा पाडी | प्रति गोटा | १५ |
| ५ | सुंगुर बारवा पाठा पाठी | प्रति गोटा | १५ |
| ६ | हॉस कखुरा अन्य पंक्षी | प्रति गोटा | १० |
| | अन्य | | |
| १ | कवाडी सामान | प्रति टुक | ३००० |
| | कवाडी सामान | प्रति टयाक्टर | २००० |
| | कवाडी सामान | प्रति पिक अप | १५०० |
| | शिशको बोलत | | निशुल्क |
| २ | दाना रुद्राक्ष मूल्यवान बाहेक | प्रति केजी | ५० |
| ३ | कट्टस | प्रति मन | ५० |
| ४ | पांग्रा रिठ्ठा | प्रति मन | ५० |
| ५ | ईन्द्रणी बियाँ | प्रति मन | ५० |

अनुसूची १० घरधुरी शुल्क:

| क्र. सं. | घरको प्रकार | ०८१।८२ को वार्षिक दर |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| १ | फुस वा टिनको छाना भएको एक तले घर | ५० |
| २ | काठ/इटा/बांसको जोडाई भई टिनको छाना भएको दुई तले घर | १०० |
| ३ | आर. सि. सि. एकतले घर | १५० |
| ४ | आर. सि. सि. दुई वा बढी तला भएको घर | २०० |

अनुसूची ११ एम्बुलेन्स उपयोग शुल्क :

माडसेबुड गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ बमोजिम ।

अनुसूची १२ बेरुजु दाखिला

महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ।


विनोद कुमार चौहान
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १३ विविध



| क्र. सं. | विवरण | ०८११८२ को दर |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| १ | जग्गा नापजाँच दस्तुर | प्रतिकित्ता रु. ३००० र थप कित्ता भए प्रति थप कित्ता १००० |
| २ | सिंचाइ कुलो मुहान दर्ता (व्यक्तिगत र सामूहिक दुबै) | ३००० र सो नवीकरण १५०० |
| ३ | पाइपमार्फत सिंचाइको मुहान दर्ता (व्यक्तिगत र सामूहिक दुबै) | २००० र सो नवीकरण १००० |

आज्ञाले,

विनोद कुमार चौहान
(प्र.प्र.अ)
माडसेबुङ गाउँपालिका
इलाम

विनोद कुमार चौहान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

माडसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१